सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 श्रीमती प्रीति कुमारी पिता सुरेश पासवान पति अशोक पासवान, निवास स्थान ग्राम-लखैया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मेरु, थाना नं0-216, खाता संख्या-86, प्लॉट संख्या-5104, रकबा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि उमा कुमारी पति रोहित राम, निवास स्थान ग्राम-सिलवारकला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-196/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1113/रा0 दिनांक 21.03.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 820 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि विक्रेता को खरीदगी केवाला संख्या 5199 दिनांक 21.09.2019 से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म टॉड-III एवं रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत लालो भुइंया वल्द मेघु भुइंया है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 6.07 एकड़ भूमि है। विक्रेता के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत् है। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकवा 0.25 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 0.17 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

पत्रांक-820 अधिनियम, वाद

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्प
1	2	
	अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती प्रीति कुमारी पिता सुरेश पासवान पति अशोक पासवान, निवास स्थान ग्राम-लखैया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मेरू, थाना नं0-216, खाता संख्या-86, प्लॉट संख्या-5104, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि उमा कुमारी पति रोहित राम, निवास स्थान ग्राम-सिलवारकला, थाना-मुफफसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.05 12:03:53 +05:30
Location: 192.168.0.111